न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –789 / 2024

अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र सुल्तान जाति नायक निवासी नणाऊ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गुडी पत्नी सुल्तान जाति नायक निवासी नणाऊ तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पुत्री सुल्तान जाति नायक निवासी नणाऊ तहसील नोहर।
3. परमजीत पुत्री सुल्तान जाति नायक निवासी नणाऊ तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांक:** 26/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 145 / 141 की कुल 6.5760 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि चुन्नीराम पुत्र खेताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चुन्नीराम पुत्र खेताराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है। वादी के दादा चुन्नीराम पुत्र खेताराम ने अपने नाम दर्ज भूमि रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 145 / 141 की कुल 6.5760 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि की वसीयत अपने दोनों पुत्रगण सोहनलाल व दलवीर सिंह के पक्ष में दिनांक 28.07.2010 को नोटेरी पब्लिक करवाई थी। वादी के दादा चुन्नीराम का दिनांक 27.04.2013 को देहान्त हो चुका है। दलवीर सिंह पुत्र सुलतान सिंह का दिनांक 26.03.2004 को लावल्द फौत हो चुका है। दलवीर के माता प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा वादग्रस्त भूमि में दलवीर पुत्र सुलतान के हक व हिस्सा की भूमि की प्रथम श्रेणी की वारिसान उसकी माता यानि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 जो की वादी की बहिने है को अगर वाद भूमि मुताबिक वसीयत दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है। वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा किया जो की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वसीयत दिनांक 28.07.2010, जमाबंदी रोही मौजा ननाउ खाता स0 145/141 सम्वत 2070-73, मृत्यु प्रमाण पत्र चुन्नीराम, मृत्यु प्रमाण पत्र दलवीर सिंह व शपथ पत्र बाबत सदस्य पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चुन्नीराम पुत्र खेताराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है। वादी के दादा चुन्नीराम पुत्र खेताराम ने अपने नाम दर्ज भूमि रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 145/141 की कुल 6.5760 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि की वसीयत अपने दोनों पुत्रगण सोहनलाल व दलवीर सिंह के पक्ष में दिनांक 28.07.2010 को नोटेरी पब्लिक करवाई थी। वादी के दादा चुन्नीराम का दिनांक 27.04.2013 को देहान्त हो चुका है। दलवीर सिंह पुत्र सुलतान सिंह का दिनांक 26.03.2004 को लावल्द फौत हो चुका है। दलवीर के माता प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा वादग्रस्त भूमि में दलवीर पुत्र सुलतान के हक व हिस्सा की भूमि की प्रथम श्रेणी की वारिसान उसकी माता यानि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 जो की वादी की बहिने है को अगर वाद भूमि मुताबिक वसीयत दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है। वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। इसी अनुसार वाद वादी डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 145/141 की कुल 6.5760 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि चुन्नीराम पुत्र खेताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार चुन्नीराम का देहान्त हो चुका है। वसीयत के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि की वसीयत चुन्नीराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 28.07.2010 को वादी व दलवीर के पक्ष में दो गवाहन दानाराम पुत्र जीसुख जाति नायक निवासी ननाउ व दलीप पुत्र चुन्नीराम जाति नायक निवासी ननाउ के समक्ष नोटेरी करवायी थी। वसीयत के गवाहान दलिप पुत्र चुन्नीराम व ओमप्रकाश पुत्र सहीराम ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत चुन्नीराम ने सोहनलाल व चुन्नीराम के पक्ष में तस्दीक करवाई थी उक्त ... के संबंध में कोई वाद विवाद नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दलवीर सिंह का देहांत हो चुका है तथा सरंपच ग्राम पंचायत नणाउ की तस्दीक के अनुसार दलवीर सिंह अविवाहित फौत हो चुका है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को मुताबिक वसीयत वाद वादी डिक्री किया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तो कोई ऐतराज नही है एवं दलवीर के देहान्त के उपरान्त प्रतिवादीया स0 1 उसकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है वादी के उक्त कथनो एवं वादी के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 145/141 की कुल 6.5760 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि चुन्नीराम पुत्र खेताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक चुन्नीराम पुत्र खेताराम का नाम कलमजन किया जाकर वा व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –789 / 2024

अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र सुल्तान जाति नायक निवासी नणाऊ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गुडी पत्नी सुल्तान जाति नायक निवासी नणाऊ तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पुत्री सुल्तान जाति नायक निवासी नणाऊ तहसील नोहर।
3. परमजीत पुत्री सुल्तान जाति नायक निवासी नणाऊ तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 789 सन 2024 निर्णय दिनांक 26/09/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 145 / 141 की कुल 6.5760 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि चुन्नीराम पुत्र खेताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक चुन्नीराम पुत्र खेताराम का नाम कलमजन किया जाकर वा व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:05 IST
Reason: SelfAttested